मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2017 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई, 2017 (आषाढ़ 30, 1939)

समय 11.00 बजे दिन.

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री राजेन्द्र शुक्ल, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का 59 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 (01 जुलाई, 2015 से 30 जून, 2016 तक) पटल पर रखेंगे.

(3) श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार दिनांक 13 दिसम्बर, 2013 को बैढ़न, जिला सिंगरौली में घटित गोली-चालन घटना की न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन शासन के संकल्प सहित पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण.

(1) श्री के.पी. सिंह, सदस्य, शिवपुरी जिले के मायापुर से रेड्डी चौराहा तक स्वीकृत डिवाइडर न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री अशोक रोहाणी, सदस्य, जबलपुर केण्ट क्षेत्र के राजीव नगर, संजय नगर आदि क्षेत्रों में पट्टों का नवीनीकरण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, सर्वश्री ठाकुरदास नागवंशी, वेलसिंह भूरिया, सदस्य, छतरपुर जिले के जसगुवां बिजावर स्थित डी.एड. कालेज द्वारा फर्जीवाड़ा किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आपराधिक प्रकरण में लिप्त अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही न किए जाने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) श्री पन्नालाल शाक्य , सदस्य, गुना जिले के दुआई मंदिर से ग्राम बादली तक सड़क निर्माण किये जाने,

(2) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम कुरेला से रोहणी को जोड़ने हेतु कच्ची सड़क बनाये जाने,

(3) श्री सुशील कुमार तिवारी , सदस्य, जबलपुर जिले के एन.एच.07 से ग्राम फूटाताल तक सी.सी. रोड का निर्माण किये जाने,

(4) श्री रामलाल रौतेल, सदस्य, अनूपपुर जिले के ग्राम चोरमठी की शासकीय माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,

(5) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम बॉडीखेड़ा में नवीन प्राथमिक शाला का भवन निर्माण कराये जाने,

(6) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम बिचपुरी में आंतरिक सी.सी. रोड निर्माण एवं दोनों ओर पक्की नाली का निर्माण कराये जाने,

(7) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य, देवास जिले के ग्राम बड़दा से भुकिया तक सड़क बनाये जाने,

(8) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम सालरिया खेड़ी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय की बाऊण्ड्रीवाल निर्माण कराये जाने,

(9) श्री दीवान सिंह पटेल, सदस्य, बड़वानी जिले के ग्राम बिलवानी से नरवला तक सड़क मार्ग निर्माण किये जाने,

(10) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम कराठा, पपटुआ एवं अन्य ग्रामों में अतिरिक्त दो-दो हैण्डपंपों को लगाये जाने,

(11) श्री मधु भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम मानपुर टोला में मूलभूत (सड़क, पानी एवं बिजली) सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने,

(12) श्रीमती सरस्वती सिंह, सदस्य, सिंगरौली जिले के ग्राम सिधार में पशु औषधालय खुलवाये जाने,

(13) श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम खैरी (कान्हीबाड़ा) के ट्रांसफार्मर को बदले जाने,

(14) कुंवर विक्रम सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग को परिवर्तित किये जाने,

(15) डॉ. कैलाश जाटव, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ठाकुर निरंजन सिंह महाविद्यालय,गोटेगांव का नवीन भवन निर्माण एवं स्नात्कोत्तर कक्षाओं का संचालन किये जाने,

(16) श्री मुकेश नायक, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम मनकी की माध्यमिक शाला में बाऊण्ड्रीवाल निर्माण कराये जाने,

(17) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य, रीवा जिले के बहुती जल प्रपात को पर्यटक स्थल घोषित किये जाने,

(18) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य, मंदसौर जिले के ग्राम देवरी में प्राथमिक विद्यालय के भवन का निर्माण कराये जाने,

(19) श्री कालुसिंह ठाकुर, सदस्य, धार जिले के ग्राम कुसुमला हाईस्कूल का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किये जाने,

(20) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम सोकलपुर नर्मदा नदी के तट पर थाला दिघावन के बीच में उच्चस्तरीय पुल का निर्माण किये जाने,

(21) श्री दिनेश राय "मुनमुन", सदस्य, सिवनी जिले के एन.एच.07 नंदौरा चौराहा शनि मंदिर से ग्राम पलारी तक रोड निर्माण कराये जाने,

(22) श्री संजय उइके, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम बोरखेड़ा से दरबारीटोला तक सड़क एवं पुल निर्माण कराये जाने,

(23) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के मुख्य मार्ग बलदेवगढ़ पलेरा से ग्राम सुहागी तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(24) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य, हरदा जिले के ग्राम सुरजना से मनोहरपुरा तक रोड निर्माण कराये जाने,

(25) श्रीमती योगिता नवलसिंह बोरकर, सदस्य, खण्डवा जिले के ग्राम केसून के पास काल्दा नदी पर ब्रिज निर्माण कराये जाने,

(26) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम सिलोटी में हाईस्कूल एवं इंटर कॉलेज भवन का निर्माण एवं शिक्षकों की पदस्थी किये जाने,

(27) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम विल्हेरा से ग्राम गुदरई तक प्रधानमंत्री योजना अंतर्गत पक्का मार्ग निर्माण कराये जाने,

(28) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, सदस्य, गुना जिले के ग्राम भूराखेड़ी के पथरिया रास्ते पर एवं ग्राम भूराखेड़ी की नदी पर पुलिया निर्माण किये जाने,

(29) श्री अमर सिंह यादव, सदस्य, राजगढ़ जिले के 04 पुलिस थानों कोतवाली, कालीपीठ, खुजनेर, छापीहेड़ा का अनुभाग मुख्यालय राजगढ़ स्वीकृत किये जाने,

(30) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम आलासूर सिमरिया में हिरन नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,

(31) श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम भीकनगांव के शासकीय अस्पताल में नवीन एम्बुलेंस प्रदाय किये जाने,

(32) श्री आर. डी. प्रजापति, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम उमरी के अट्इया बाबा तालाब का गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण कराये जाने,

(33) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम हिनौती जलाशय की नहर का विस्तारीकरण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

2 घण्टे

5. वर्ष 2017-2018 की प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

" दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 43, 45, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 60, 64 तथा 67 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर पांच हजार बावन करोड़, तिरपन लाख, सैंतालीस हजार, दो सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये.".

6. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2017 (क्रमांक 20 सन् 2017) का पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

7. अशासकीय संकल्प

(1) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

50 मि. "सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश के कई जिलों में प्रचलित "ऐरा प्रथा" को समाप्त किया जाए.".

(2) सर्वश्री के.पी.सिंह, शैलेन्द्र पटेल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

50 मि. "सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश के ग्रामीण इलाकों के विभिन्न ग्रामों की बड़ी आबादी वाली बसाहटों / मजरों / टोलों को राजस्व ग्राम घोषित किया जाए.".

(3) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

50 मि. "सदन का यह मत है कि केन्द्र सरकार के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार शिक्षकों की मृत्यु उपरांत उनके परिवारजनों को दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में बी.एड. एवं डी.एड. की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए.".

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 20 जुलाई, 2017